भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 888
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-संजीवनी सेवाएं

888. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-संजीवनी सेवाओं में भाग लेने वाले चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने ई-संजीवनी मंच की गुणवत्ता, लाभार्थियों की संतुष्टि और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं, स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की कमी और उक्त प्लेटफार्म से रोगी के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्डों के अपर्याप्त एकीकरण जैसी अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) ई-संजीवनी की संधारणीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं शामिल हैं; और

(ङ) क्या ई-संजीवनी सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कोई पहल करने की योजना बनाई गई है जैसे कि क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना और दूरस्थ क्षेत्रों में इसकी पहुंच का विस्तार करना आदि और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ.): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ई-संजीवनी सेवाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से डॉक्टरों को नियोजित करने के लिए कार्यवाही के रिकॉर्ड के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करता है। ई-संजीवनी सेवाओं के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार सरकारी डॉक्टरों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) को नियोजित करती हैं। इसके अलावा, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ राज्य पीपीपी मॉडल का पालन करते हैं, जहां डॉक्टरों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किया जाता है।

जी हां, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र में टेलीमेडिसिन/ई-संजीवनी के उपयोग पर एक अध्ययन किया गया है, जिसमें टेलीमेडिसिन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि आईटी

सहयोग, टेली-परामर्श के लिए समर्पित स्थान की उपलब्धता, प्रशिक्षण पहलू, डॉक्टरों और अन्य फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं जैसे कि आशा, स्वास्थ्य सहायक, लैब तकनीशियन आदि की भूमिका; निर्बाध इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता, मोबाइल फोन का उपयोग (टेली-परामर्श सेवाओं के लिए सबसे अधिमान्य उपकरण)।

नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारें आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ब्रॉडबैंड कवरेज बढ़ाने के लिए दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग कर रही हैं। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करा रही है तथा कुछ राज्यों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को समर्थन दे रही है।

ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे कि सी-डैक-मोहाली में वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। ई-संजीवनी को माईलस्टोन 1 और 2 के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

मापनीयता के लिए, ई-संजीवनी एक मजबूत, क्लाउड-सक्षम अवसंरचना का उपयोग करता है जो उपयोगकर्ता की मांग के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से समायोजित करता है, जिससे अधिकतम मांग की अवधि के दौरान भी निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। इस प्लेटफॉर्म की अंतर-संचालनीयता इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणालियों और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के साथ निर्बाध डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। बहुभाषी क्षमताएं और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यप्रवाह भारत की विविध आबादी में समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ई-संजीवनी भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक मापनीय, लागत प्रभावी और दीर्घकालिक आधारशिला बनी रहे।

*****